उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No. : 211/2022 दिनांक/Date : 4/5/22

अधिसूचना / विज्ञप्ति

आयोग के द्वारा पद नाम–छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इन्चार्ज, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, संवीक्षक, सुपरवाईजर (केवल महिलाओं के लिए) (पद कोड–122, 187, 190, 296, 485, 513, 520, 526, 550, 599, 604, 641/29/2020) की लिखित प्रतियोगी परीक्षा पर अभिलेख सत्यापन हेतु जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु **दिनांक 17–05–2022 से 27–05–2022 तक** निर्धारित कार्यक्रम जारी किया जा चुका है।

2. अवगत करना है कि आयोग कार्यालय द्वारा अभिलेख सत्यापन का मुख्य आशय यह है कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में जो शैक्षिक अर्हतायें, पात्रतायें व अन्य विवरण अंकित किये हैं उनके मूल प्रमाण पत्र उनके पास हैं व ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई झूठी सूचना नहीं दी गई है। यह भी विज्ञापन में स्पष्ट है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी अर्हतायें व पात्रतायें पूर्ण करनी अनिवार्य हैं।
3. पिछले कुछ चयनों में अभिलेख सत्यापन के कार्यानुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि मुख्य रूप से OBC प्रमाण पत्रों व EWS प्रमाण पत्रों में कठिनाईयों आयी हैं। इन दोनों मामलों में भी यही नियम लागू होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के पास आवेदन भरने की तिथि या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
4. पूर्व में कुछ मामलों में आयोग द्वारा OBC व EWS प्रमाण पत्रों में जिला प्रशासन से आख्या/ स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इसके क्रम में कुछ मामलों में अस्पष्ट आख्यायें प्राप्त हुईं व आयोग को अंतिम निर्णय में काफी कठिनाईयाँ आयीं।
5. इस दृष्टि से आयोग की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि अब आयोग द्वारा स्थापित नियम के अनुरूप ऐसा कोई स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जायेगी व यदि अभ्यर्थी विज्ञापन शर्तों के अनुरूप सभी पात्रतायें संबंधी प्रमाण पत्र धारित करते हों तभी उनका अभ्यर्थन स्वीकार किया जायेगा व किसी भी मामले में कोई स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जायेगी।
6. EWS प्रमाण पत्र के लिए अब राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 09–11–2021 के द्वारा प्रारूप भी निर्धारित कर दिया गया है व इसकी अवधि भी निर्धारित की गई है। अतः इसी व्यवस्था के अनुरूप EWS प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। OBC प्रमाण पत्र भी आवेदन की तिथि या आवेदन करने की अंतिम तक पूर्ण व स्पष्ट होना अनिवार्य है।

अतः मा० आयोग के द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में उक्त पदों में समस्त चयनित अभ्यर्थियों एवं भविष्य में आयोजित परीक्षाओं में चयनित वाले अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में चयन के उपरान्त की पात्रताओं के संबंध में उपरोक्त निर्धारित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास धारित होना अनिवार्य है तथा इस संबंध में किसी भी प्रमाण पत्र पर स्पष्टीकरण या क्लेरीफिकेशन मांगे जाने की व्यवस्था नहीं है। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी के द्वारा उपरोक्त निर्धारित प्रमाण पत्र जारी विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने की तिथि या आवेदन करने अन्तिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त अवधि तक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि का वैध प्रमाण पत्र न होने की दशा में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थी कृपया अभिलेख सत्यापन की तिथि को उक्तानुसार समस्त पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

4/5/22
(सन्तोष बडोनी)
सचिव